का॰ज्ञ॰सं॰ 15/4/2005- रा॰भा॰ (सेवा), दिनांक 22.2.2005

विषय: मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के न्यूनतम हिंदी पद।

मंत्रालयों/विभागों इत्यादि का ध्यान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 2/8/2001-पी॰ आई॰ सी॰, दिनांक 16.5.2001 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विभाग वार्षिक सीधी भर्ती योजना तैयार करेगा जिसका अनुमोदन एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जायेगा। इस कार्यालय ज्ञापन में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित करने का भी प्रावधान किया गया है। तदनुसार इस विभाग में भी स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी 27.1.2005 की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

> ''जहां तक न्यूनतम हिंदी पदों का संबंध है, संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इन पदों की गणना करें। जहां तक संभव हो, उन्हें कटौती से बचायें क्योंकि ये न्यूनतम हिंदी पद है जोकि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नितांत आवश्यक है।''

तदनुसार मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि न्यूनतम हिंदी पदों को भरने के बारे में संबंधित मंत्रालयों इत्यादि की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में विचार किया जाए और जहां तक संभव हो इन पदों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अन्तर्गत होने वाली कटौती से बचाया जाए क्योंकि ये पद राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाये गये है। यह प्रक्रिया मंत्रालय/विभाग उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय, उपक्रम, बैंक, संस्थान सहित सभी कार्यालयों के लिए अपनाई जाए।

यह कार्यालय ज्ञापन राजभाषा विभाग की वेबसाईट॰ पर भी उपलब्ध है।